न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 77/2020 (2020/00476) दायर दिनांक 13.10.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. बंशीलाल आत्मज सुवालाल कुम्हार
2. रतनलाल आत्मज सुवालाल कुम्हार
3. रमेशलाल आत्मज सुवालाल कुम्हार
4. श्यामु आत्मज सुवालाल कुम्हार
5. सोवनी पत्नि सुवालाल कुम्हार

सर्व निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भुलाल आत्मज रामचन्द्र भील निवासी कुआ जागा तहसील रतलाम (मध्यप्रदेश)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा (राज0)

––विपक्षीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री गणपत राणवा
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–19.03.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खातीखेडा पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाडा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 26 रकबा 0.50 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 158 पर स्थित है। जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 व नक्शाट्रेस पेश है।

यह कि प्रार्थीगण की उक्त कृषि [illegible] संख्या 26 रकबा 0.50 हे0 मे ग्राम खातीखेड़ा की बिलानाम आराजी [illegible] गै0मु0 सड़क से होकर जो सड़क खातीखेड़ा चौराया [illegible] जाती है उक्त सड़क [illegible]श्चिमी ओर स्थित विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या [illegible]/709 रकबा 0.18 [illegible] भूमि के पूर्वी दक्षिणी कोने से प्रवेश कर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 26 में संज, बैल, बेलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि से सहित आवागमन करते चले आ रहे है, यह आवागमन वर्षो पुराना है तथा उक्त वर्णित रास्ता करीब 15 फीट चौड़ाई का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

यह है कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 26 में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 761 / 709 स्थित है। इस रास्ते के अलावा अनरू कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की आराजी मे आवागमन करने हेतु मौजूद नहीं है। जिससे उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थीगण के लिए आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता हैं।
प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि विपक्षीगण को देने को तैयार है।

अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 26 में संज, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो ग्राम खातीखेड़ा चौराया से खातीखेड़ा जाने वाली सड़क आराजी संख्या 29 रकबा 0.50 हे0 से होते हुए सड़क के पश्चिमी ओर स्थित विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 761 / 709 में होते हुए आगे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 26 तक जाता है जो रास्ता करीब 15 फीट चौड़ाई में है उक्त रास्ते को बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रदान कराया जावे तथा नियमानुसार राशि तय करवा विपक्षी संख्या एक को दिलाई जावें।

प्रकरण विधिवत इस न्यायालय में दिनांक 13.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थि अतः इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पेरोकार उपस्थित। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाबदेही बंद की जाती है।
तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 21 / 271 दिनांक 18.03.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसार :–

–यह कि ग्राम खातीखेड़ा प0हा0 डेलाना के आराजी नं0 26 रकबा 0.50 हे0 किस्म बारानी तृतीय भूमि रतनलाल, रमेशचन्द्र, बंशीलाल, श्यामु पिता सुवालाल, सोवनी पत्नि सुवालाल कुम्हार निवासी डेलाना [illegible] रेकार्ड है। उक्त आराजी नं0 26 रकबा 0.50 हे0 में आने जाने हेतु मौके [illegible] रास्ता बना हुआ नहीं है।
–यह कि प्रार्थी खातेदारी आराजी [illegible] खातीखेड़ा के बिलानाम आराजी नं0 29 रकबा 0.50 हे0 किस्म गै0मु0 सड़क से होकर खातेदारी आराजी नं0 761 / 709 रकबा 0.18 हे0 भूमि से होकर आवागमन करते थे, वर्तमान में उक्त रास्ता मौके पर बंद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :–77 / 2020 (2020 / 00476)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

–यह कि मौके पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु आराजी नं0 761 / 709 रकबा 0.18 हे0 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है।

–यह कि वर्तमान में आराजी नं0 761 / 709 में से होकर ही आवागमन किया जा रहा है कभी कभी खातेदार उक्त रास्ते को बंद कर देता है।

– यह कि उक्त प्रस्तावति रास्ते हेतु आराजी नं0 761 / 709 रकबा 0.18 हे0 भूमि में से 0.01 हे0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है, ग्राम खातीखेड़ा की सिंचित पारा की डी0एल0सी0 दर 301122 / – रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.01 हे0 भूमि की मालियत 3012 / –रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 6024 / – रूपये होती है।

– यह कि प्रस्तावति रास्ते को राजस्व नक्षे में लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

– यह कि मौके पर प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 26 में आवागमन करने का सबसे नजदीकी रास्ता विपक्षी संख्या एक की आराजी नं0 761 / 709 रकबा 0.18 हे0 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त प्रस्तावति रास्ते हेतु आराजी नं0 761 / 709 रकबा 0.18 हे0 भूमि में से 0.01 हे0 भूमि रास्ते के उपयोग प्रभावित होती है। उक्त रास्ते हेतु कुल 0.01 हे0 भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:22 IST
Reason: SelfAttested

गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :–77 / 2020 (2020 / 00476)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या एक की ग्राम खातीखेड़ा प0ह0 डेलाना की आराजी नं0 761 / 709 रकबा 0.18 हे0 में से 0.01 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 301122 / – है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 3012 / –रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 6024 / –रूपये प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी नं0 761 / 709 रकबा 0.18 हे0 में से 0.01 हे0 भूमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से राशि 6024 / – रूपये प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 1 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम खातीखेड़ा प0ह0 डेलाना की आराजी संख्या 26 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 4.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:22 IST
Reason: SelfAttested